15

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

[केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय]

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2022/अग्रहायण 1944 (शक)

पंद्रहवां प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
(2022-23)

पंद्रहवां प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

[केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय]

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

21.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2022/अग्रहायण 1944 (शक)

मूल्य: रुपये ____

@ 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002 द्वारा मुद्रित।

विषय – सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना (2021-22)..... iii

समिति की संरचना (2022-23)..... iv

प्राक्कथन..... vi

भाग -I

विवरण 01

भाग –II

टिप्पणिया / सिफ़ारिशे 23

परिशिष्ट

समिति की 15.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 27

समिति की 15.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश..... 30

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की संरचना (2021-22)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

लोक सभा

सदस्य

2. श्री टी. आर .बालू
3. श्री बंदी संजय कुमार
.4 श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
.5 श्री रमेश बिधूड़ी
.6 सुश्री एस .जोतिमणि
.7 श्री दिलेश्वर कामैत
.8 श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
.9 श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो
.10 डॉ .संघमित्रा मौर्य
.11 श्री अनुभव मोहंती
.12 डॉ .प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
.13 श्री बालक नाथ
.14 श्री अजय निषाद
.15 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
.16 श्री राम शिरोमणि वर्मा
.17 श्री के .सुधाकरन
.18 श्री अशोक कुमार यादव
.19 श्री प्रदान बरुवा
.20 श्री चुन्नीलाल साहू

राज्य सभा

.21 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
.22 श्री टी.के.एस .एलंगोवन
.23 श्री नारायण कोरागप्पा
.24 श्री जयप्रकाश निषाद
.25 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
.26 श्रीमती छाया वर्मा
.27 श्री हरनाथ सिंह यादव
.28 श्री सकलदीप राजभर
.29 श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाड़ीया
.30 श्री जुगलसिंह लोखंडवाला*

16.03.2022 से निर्वाचित

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की संरचना (2022-23)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

लोक सभा

सदस्य

2. श्री टी. आर .बालू
3. श्री बंदी संजय कुमार
.4 श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
.5 श्री रमेश बिधूड़ी
.6 श्री दिलेश्वर कामैत
.7 श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
.8 डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज
.9 सुश्री एस .जोतिमणि
.10 श्री पी. सी. मोहन
.11 डॉ .प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
.12 श्री रोडमल नागर
.13 श्री बालक नाथ
.14 श्री अजय निषाद
.15 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
.16 श्री चुन्नीलाल साहू
.17 श्री चंद्र शेखर साहू
.18 श्री के .सुधाकरन
.19 श्री अशोक कुमार यादव
.20 श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

.21 श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
.22 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
.23 श्री राजेन्द्र गहलोत
.24 श्री नारायण कोरागप्पा
.25 श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
.26 श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
.27 श्री सकलदीप राजभर
.28 श्री राम नाथ ठाकुर
.29 श्री हरनाथ सिंह यादव
.30 रिक्त*

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त

सचिवालय

.1	श्री पुलिन बी .भूटिया	-	संयुक्त सचिव
.2	श्री महेश्वर	-	निदेशक
.3	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव

√

प्राक्कथन

मैं, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय विषय पर यह पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने इस विषय की जांच के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) और केनरा बैंक के प्रतिनिधियों का 15.03.2022 को साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) और केनरा बैंक के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

3. समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति से सम्बद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा समिति को बहुमूल्य सहायता देने के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग– दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
15 दिसम्बर, 2022
24 अग्रहायण, 1944((शक)

राजेश वर्मा,
सभापति,
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

भाग - एक

विवरण

क. परिचय

केनरा बैंक की स्थापना जुलाई 1906 में श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पई द्वारा मैंगलोर में की गई थी, जो उस समय कर्नाटक में एक छोटा बंदरगाह शहर था। बैंक अपने अस्तित्व के सौ वर्षों में अपने विकास पथ के विभिन्न चरणों से गुजरा है। केनरा बैंक का विकास अभूतपूर्व था, विशेष रूप से वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात, अभूतपूर्व था, बैंक ने भौगोलिक पहुंच और कारोबार खंडों के मामले में एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर का दर्जा प्राप्त किया। बैंक के लिए अस्सी का दशक वाणिज्य विविधीकरण के रूप में जाना गया। जून 2006 में, बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में परिचालन की एक सदी पूरी की।

केनरा बैंक को कई पहलें करने का श्रेय है। इनमें शामिल हैं:

- इंटर-सिटी एटीएम नेटवर्क की शुरुआत
- शाखा हेतु आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करना
- अच्छी बैंकिंग की विशेषताएँ -बैंक नागरिक चार्टर
- महिला विशिष्ट बैंक शाखा की शुरुआत
- आईटी कंसल्टेंसी के लिए एक्सक्लूसिव सब्सिडियरी की शुरुआत
- किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करना
- कृषि परामर्श सेवाएं प्रदान करना

इन वर्षों में, बैंक भारत और विदेशों में दस सहायक/प्रायोजित संस्थानों/संयुक्त उद्यमों के साथ एक प्रमुख वित्तीय समूह के रूप में उभरने के लिए अपनी बाजार स्थिति में वृद्धि कर रहा है।

1.2 केनरा बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। सांविधिक उपबंधों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संगठन के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और निगरानी निदेशक मंडल को सौंपा जाता है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह, केनरा

बैंक भी सरकारी दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करता है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के हितों की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व सहित सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सीधे जिम्मेदार है।

केनरा बैंक का संगठनात्मक ढांचा

1.3 बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केनरा बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में 16 निदेशक निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	निदेशक का पद/श्रेणी	निदेशकों की संख्या	अधिनियम की धारा जिसके तहत नियुक्त किया गया है
1.	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	01	9(3)(ज)
2.	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01	9(3)(क)
3.	कार्यकारी निदेशक	04	9(3)(क)
4.	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01	9(3)(ख)
5.	आरबीआई नामित निदेशक	01	9(3)(ग)
6.	वर्कमैन एम्पलॉई डायरेक्टर	01	9(3)(ङ)
7.	ऑफिसर एम्पलॉई डायरेक्टर	01	9(3)(च)
8.	गैर-सरकारी निदेशक	03	9(3)(छ)
9.	शेयरधारक निदेशक	03	9(3)(झ)

1.4 समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में केनरा बैंक में कोई भी निदेशक अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से नहीं है। समिति ने यह जानना चाहा कि क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/वित्तीय संस्थाओं (एफआई) आदि के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़े वर्गों को

प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रावधान है। साक्ष्य के दौरान, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

"16 वैकेंसी में से 11 पर भर्ती हो चुकी है। अभी भी 5 रिक्त हैं। इसमें से 1 एक्जीक्यूटिव डायरेक्ट शिड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन जो 5 पद बचे हुए हैं, उनमें से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के डायरेक्टर भी मिल जाएंगे।"

उपरोक्त संदर्भ में, समिति ने केनरा बैंक में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभाग/बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा, अपने लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि:-

"इस प्रकार, जिन कर्मचारियों को 08.09.1993 से पहले भर्ती किया गया है, हालांकि वे ओबीसी से संबंधित हैं, उन्हें "सामान्य" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उन्हें ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर रोजगार नहीं मिला है। परिणामस्वरूप, बैंक में उच्च स्तर पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है।"

क. भर्ती में आरक्षण

1.5 समिति को सूचित किया गया कि केनरा बैंक में 1993 से, जब ओबीसी आरक्षण नीति शुरू की गई थी, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए भर्ती में आरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश लागू किए जा रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों के पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ 1993 से अब तक के विभिन्न श्रेणियों के पदों के तहत की गई नियुक्तियों के विवरण के बारे में जानकारी देते हुए केनरा बैंक ने एक टिप्पण में बताया कि:-

"केनरा बैंक में पदों की तीन श्रेणियां हैं अर्थात अधिकारी, लिपिक, अधीनस्थ कर्मचारी श्रेणी।

भर्ती का तरीका	आरक्षण का प्रतिशत	बैंक में आरक्षण लागू होने की तिथि
सीधी भर्ती से भरे गए पद		
(क) अधिकारी: अधिकारी संवर्ग के रिक्त पद अखिल भारतीय आधार पर भरे जाते हैं।	27%	08.09.1993
(क) लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग के पदों पर भर्ती राज्य की पर आधार वार- है। जाती	प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षणों का प्रतिशत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 05.07.2005 के पत्र के माध्यम से का.ज्ञा. सं. 36017/1/2004-स्था (आरईएस) के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।	08.09.1993
पदोन्नति से भरे गए पद।	पदोन्नति में किसी भी वेतनमान /संवर्ग के लिए अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कोई आरक्षण निर्धारित नहीं है।	

1.6 इसके अलावा, समूह क और ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और उचित अवसर प्रदान करने के लिए ओबीसी अभ्यर्थियों को दी गई रियायत के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

भर्ती प्रक्रिया

(क) अधिकारी (समूह-क)

भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) को कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-1 में अधिकारियों, विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) आयोजित करने के लिए अधिदेश दिया है। सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) के आरंभ होने से पहले बैंक आईबीपीएस को श्रेणीवार मांग प्रस्तुत करेगा। आईबीपीएस द्वारा संबंधित पद के लिए सामान्य पात्रता मानदंड सरकारी मानदंडों के अनुरूप तय किए जाएंगे। इसके बाद, आईबीपीएस सामान्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करेगा। सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) पूरी होने के बाद, आईबीपीएस बैंकों की मांग के अनुसार डोज़ियर आबंटित करेगा।

बैंक के विशिष्ट पदों, जिनके लिए आईबीपीएस सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) का आयोजन नहीं करता है, के मामले में अधिकारी संवर्ग में उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर होता है, जिसके लिए बैंक प्रमुख समाचार पत्रों और इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी करता है। सामान्य अर्हता मानदंड बैंक द्वारा तय किए जाते हैं। जब भी जनता के लिए सूचना जारी की जाती है तो बैंक की वेबसाइट पर भी विज्ञापन डाला जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) के लिए एक कॉमन चयन संस्था होने के कारण आईबीपीएस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों और अन्य पात्र उम्मीदवारों को सरकार द्वारा अध्यादेशित सभी छूट/रियायतें/ आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करता है।

आईबीपीएस द्वारा कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने और साक्षात्कार में प्रदर्शन के माध्यम से चयन किया जाना शामिल है।

पात्र उम्मीदवारों का एक समिति द्वारा साक्षात्कार किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं सहित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित सदस्य शामिल होते हैं।

वेतनमान-I के अलावा बैंक विभिन्न संवर्गों में अलग से विशेषज्ञ अधिकारियों की भी भर्ती करते हैं और आईबीपीएस की सहायता से परीक्षा और/या समूह चर्चा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

बैंक के विशिष्ट पदों पर भर्ती के मामले में, जब भी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है तो विज्ञापन के साथ-साथ बैंक सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न ओबीसी कल्याण संघों/संगठनों को रिक्तियों के बारे में सूचित करता है।

(ख) लिपिकीय (समूह –ग)

भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने बैंक कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) को लिपिकों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) आयोजित करने के लिए अधिदेश दिया है। सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) के आरंभ होने से पहले बैंक आईबीपीएस को राज्यवार, श्रेणीवार मांग प्रस्तुत करेगा। इसके बाद, आईबीपीएस सामान्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करेगा। सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) पूरी होने के बाद, आईबीपीएस बैंकों की राज्यवार मांग के अनुसार डोज़ियर आबंटित करेगा।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों, जहां लिपिक संवर्ग में भर्ती होती है, वहां लागू निर्धारित प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिया जाता है।

(ग) भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों को दी जाने वाली रियायत :

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की रियायत देता है। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में अन्य

पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों को समूह चर्चा (जीडी) और साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में 5% की रियायत देता है।

वर्तमान में समूह 'क' और 'ग' पदों के लिए भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार, बैंक में समूह 'क' और 'ग' पदों के लिए कोई चयन समिति नहीं है। हालांकि, जब भी बैंक कोई विशेष भर्ती कार्यक्रम शुरू करता है तो सभी संवर्गों में 10 या अधिक रिक्तियों पर भर्ती के लिए बनाई जाने वाली समिति/बोर्ड में ओबीसी का एक सदस्य शामिल किया जाता है।"

1.7 8 सितंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों के पदों/वर्गों/ वेतनमानों में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"1 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार केनरा बैंक में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कुल संख्या और उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:-

ग्रेड	पदों की कुल संख्या	ओबीसी की संख्या
अधिकारी (समूह क)	51300	15519
लिपिक (समूह ग)	24045	7278
अधीनस्थ-कर्मचारी और सफाई कर्मचारी (समूह घ)	12446	3506
सकल योग	87791	26303

1.8 इसके साथ ही, उक्त ब्यौरे को विस्तार से बताते हुए, केनरा बैंक के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"आज मैं एक दिसम्बर, 2021 की फिगर्स बता रहा हूँ, जो फर्दर रिक्रूटमेंट, फर्दर रिटायरमेंट आदि सब होने के बाद है। मैंने सोचा कि आपको लेटेस्ट फिगर आपकी जानकारी के लिए दे दूँ। इसके हिसाब से ऑफिसर्स की टोटल पोस्ट्स 51,300 हैं, उसमें

ओबीसी 15,519 हैं, यह 30.25 प्रतिशत है। क्लेरिकल में टोटल 24,045 लोग हैं, उसमें से 7,278 ओबीसी हैं, यह 30.27 प्रतिशत है। सब-स्टॉफ में कुल कर्मचारी 12,446 हैं, जिसमें से 3,506 ओबीसी हैं, जो 28.17 प्रतिशत हैं। टोटल 87,791 लोग हैं, जिनमें से 26,303 ओबीसी हैं। यह 29.97 प्रतिशत है।"

1.9 समिति ने केनरा बैंक में पदों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) की श्रेणियों के साथ ऐसे सभी पदों के वेतनमानों के बारे में पूछा जिनके लिए ओबीसी उम्मीदवारों आरक्षण दिए गए, इस पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया:-

"सीधी भर्ती के तहत, केनरा बैंक में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पदों पर ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

केनरा बैंक में तीन संवर्ग /पद तथा वेतनमान हैं जिनके लिए भर्ती की जाती है जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

समूह	पद	वेतनमान	मूल वेतनमान
समूह क	अधिकारी	जेएमजी स्केल-I	36,000 – 63,840 रुपये
	प्रबंधक	एमएमजी स्केल-II	48,170 – 69,810 रुपये
	वरिष्ठ प्रबंधक	एमएमजी स्केल-III	63,840 – 78,230 रुपये
समूह ग	लिपिक	लिपिक संवर्ग	17,900 – 47,920 रुपये
समूह घ	अधीनस्थ कर्मचारी	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग	14,500 – 28,145 रुपये

* बैंक में समूह "ख" का कोई पद नहीं हैं।"

1.10 जब समिति ने 8 सितंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों के पदों/वर्गों/वेतनमानों में कर्मचारियों की संख्या और उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में बताया कि:-

ग्रेड	पदों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों की संख्या
अधिकारी (समूह क)	12018	लागू नही .
लिपिक (समूह ग)	27180	लागू नही
अधीनस्थ-कर्मचारी और सफाई कर्मचारी (समूह घ)	9858	लागू नही
सकल योग	49056	लागू नही

* भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिनांक 08.09.1993 से शुरू किया गया था। इस प्रकार, जिन कर्मचारियों को 08.09.1993 से पहले भर्ती किया गया है, हालांकि वे अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उनकी भर्ती श्रेणी को सामान्य के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर रोजगार नहीं मिला है।"

1.11 जब समिति ने केनरा बैंक में ओबीसी श्रेणी के तहत बैकलॉग रिक्तियों के कारणों और बैकलॉग रिक्तियों को भरने में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने बताया कि केनरा बैंक में ओबीसी श्रेणी के तहत बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत रिक्तियों को भरने में कोई विशेष बाधा नहीं है। बैकलॉग रिक्तियों, यदि कोई है, को तदुनंसार अग्रेनीत किया जाता है और आगामी भर्ती प्रक्रिया में भरा जाता है।

1.12 समिति ने केनरा बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती में उचित अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जा रही छूट/रियायतों के बारे में जानकारी मांगी। इसके उत्तर में मंत्रालय ने अपने नोट में बताया है कि:-

"स्थिति कुछ इस प्रकार है":-

<u>इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा लिपिकों की भर्ती के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया</u>

- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की रियायत।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा अधिकारियों की भर्ती के लिए समान भर्ती प्रक्रिया

- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की रियायत।
- अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम अहर्ता अंक 40% (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 35%) से कम नहीं होंगे।

निगरानी तंत्र

1.13 समिति ने केनरा बैंक में ओबीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित तंत्र का विवरण उपलब्ध करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने लिखित टिप्पण में बताया है कि:-

"कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दिनांक 4.10.2013 के का.ज्ञा.सं. 43011/53/2010-स्था.(आरईएस) के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसबी/पीएफआई/पीएसआईसी) में डीओपीटी के अनुदेशों के अनुपालन की जांच करने हेतु इस विभाग के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) द्वारा आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण किया जाता है।

केनरा बैंक द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण दिनांक 02.12.2021 को आयोजित किया गया था।

बैंक ने सूचित किया है कि सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केनरा बैंक में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र लागू किया गया है:

क. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टर तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

ख. बैंक ने सीधी भर्ती के मामले में 27% पद आरक्षित किए हैं और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भी दी है।

ग. इसके अलावा, बैंक भर्ती प्रक्रियाओं में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जीडी और साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% छूट प्रदान कर रहा है।

घ. बैंक सभी संवर्गों में 10 या इससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए गठित साक्षात्कार समिति में ओबीसी से संबंधित एक सदस्य को शामिल कर रहा है।

ङ. बैंक ने रोस्टरों के रखरखाव और आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

च. बैंक के प्रधान कार्यालय में ओबीसी (ओबीसी श्रेणी से संबंधित) के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंचल कार्यालयों में संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

छ. बैंक का निदेशक मंडल आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की अर्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा भी करता है।

ज. बैंक में भर्ती के संबंध में, श्रेणी के साथ अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची बैंक की वेबसाइट पर दर्शायी जाती है।

झ. बैंक ने वेबसाइट पर रोस्टर प्रकाशित किए हैं क्योंकि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसके अलावा, रोस्टर प्रधान कार्यालय/अंचल कार्यालय में उपलब्ध हैं और यह निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

ञ. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आवधिक आधार पर आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण किया गया था।

ट. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

ठ. बैंक में ओबीसी कल्याण संघ के लिए सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ने उन्हें चेक ऑफ सुविधा और अन्य सुविधा प्रदान की है। बहुसंख्यक ओबीसी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को ओबीसी कल्याण संघ द्वारा प्रस्तुत मुद्दों और आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा करने के लिए बैंक के मुख्य कार्यकारी के साथ आवधिक बैठकों (अर्ध-वार्षिक) के लिए आमंत्रित किया जाता है।"

आरक्षण रोस्टर

1.14 यह पूछे जाने पर कि क्या इस विषय पर आदेशों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर बनाए जा रहे है और समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है, मंत्रालय ने अपने नोट में बताया कि:-

"हाँ, केनरा बैंक डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर तैयार कर रहा है। स्थिति इस प्रकार है :

रिज़र्वेशन/आरक्षण रोस्टर का तरीका		किस स्तर पर रोस्टर का रखरखाव किया जा रहा है	रोस्टर्स की संख्या
सीधी भर्ती	अधिकारी	स्केल - I, II और III वाले अधिकारियों के लिए मुख्यालय।	3
	कार्मिक	सर्कल ऑफिस में राज्यवार रिज़र्वेशन और रोस्टर का रखरखाव (लिपिक,अधीनस्थ-कर्मचारी श्रेणी के लिए)	3

1.15 समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की खाली रिक्तियों को आरक्षण रोस्टर में दर्शाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कमी और बैकलॉग रिक्तियों को ठीक से दर्ज किया गया है और तदनुसार आगे बढ़ाया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने एक लिखित नोट में बताया है कि केनरा बैंक में ओबीसी के लिए वर्ष-वार रिक्तियों को रजिस्टर में दर्शाया जा रहा है और कमी और बैकलॉग, यदि कोई हो, को तदनुसार आगे बढ़ाया जाता है और आगामी भर्ती प्रक्रिया में भरा जाता है।

1.16 नियमित रोस्टर निगरानी के संबंध में पूछे जाने पर कि वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कितनी बार आरक्षण रोस्टर की निगरानी करता है और बैंकों के कर्मचारी संघ के साथ बैठक करता है। मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"दिनांक 04.01.2013 के डीओपीटी के का.ज्ञा.संख्या 43011/153/2010- स्थापना (संकल्प) दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएफएस के सीएलओ हर वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्षवार तैयार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाती है कि सभी संगठनों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार निर्धारित किया गया है।

केनरा बैंक द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण 02.12.2021 को आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में संबंधित बैंक के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी इस विभाग के मुख्य संपर्क अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं।

पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी के कल्याण संघों के साथ डीएफएस प्रत्यक्ष तौर पर बैठक नहीं करता है। डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी के प्रबंधन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी कल्याण संघों के साथ

तिमाही/अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। डीएफएस में निरीक्षण के दौरान, संगठनों से उनकी बैठकों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।"

1.17 इस संबंध में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के दौरान केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ ने साक्ष्य में बताया कि:-

"रोस्टर अफसरों के लिए है, *स्केल* 1, 2 *और* 3 *हैं*। अफसरों के अलावा क्लेरिकल और सबार्डिनेट स्टाफ के तीन बनते हैं। इस तरह से छः रोस्टर बनते हैं। ये बैंक में मैन्टेन्ड हैं। अफसरों का रोस्टर हैड ऑफिस में मैन्टेन होता है क्योंकि सैंट्रल रिक्रूटमेंट है, अधीनस्थ स्टाफ और क्लेरिकल का स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट है, इसलिए सर्कल ऑफिस जो स्टेट में रहता है, वहां मैन्टेन होता है। सितम्बर 2020-2021 में लाइजन अफसर के रोस्टर चैक किए हुए हैं। इसके अलावा डीएफएस भी चैक करते हैं। दिसंबर *2021* में डीएफएस ने रोस्टर चैक किए और कोई इरेगुलेरिटी नहीं पाई गई। अत: रोस्टर की जाँच एकदम उचित है; और रखरखाव भी उचित है।"

चयन समिति/बोर्ड

1.18 डीओपीटी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/2/2014-स्था.(आरईएस.) दिनांक 13 फरवरी, 2014 के माध्यम से निदेश जारी किए कि अन्य बातों के साथ-साथ सभी संवर्गों में 10 या इससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए गठित साक्षात्कार समिति में ओबीसी से संबंधित एक सदस्य को शामिल करना अनिवार्य है। डीओपीटी ने यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि जहां रिक्तियों की संख्या जिसके लिए चयन किया जाना है 10 से कम है, ऐसी समितियों/बोर्डों में अन्य लोगों के बीच शामिल करने के लिए एक अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी को खोजने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

उक्त संदर्भ में, समिति यह जानना चाहती थी कि क्या मंत्रालय और संगठनों में सभी स्तरों के पदों/सेवाओं में भर्ती करते समय उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने अपने नोट में बताया कि समूह 'क' और 'ग' पदों के लिए भर्ती वर्तमान में मेसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग

पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से की जा रही है। हालांकि, जब भी बैंक विशेष परियोजना भर्ती आयोजित किया, तो बैंक ने सभी संवर्गों में 10 या अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए गठित चयन समिति/बोर्ड में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित एक सदस्य को शामिल किया।

1.19 केनरा बैंक द्वारा गठित भर्ती बोर्डों/चयन समितियों की संख्या और इन समितियों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या के संबंध में प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने बताया कि:-

"बैंक द्वारा गठित पिछले 5 वर्षों के लिए चयन/साक्षात्कार समिति में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के नाम निम्नानुसार दर्शाए गए है:-

बैंक द्वारा संचालित भर्ती परियोजनाएं	साक्षात्कार समिति में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या
आरपी 1/2017 – स्पेशलिस्ट ऑफिसर/विशेषज्ञ अधिकारी	02
आरपी 2/2017 पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रोबेशनरी ऑफिसर	06
आरपी 1/2018 – पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रोबेशनरी ऑफिसर	11
आरपी 2/2020 – स्पेशलिस्ट ऑफिसर/विशेषज्ञ अधिकारी	04"

ओबीसी के लिए कल्याणकारी उपाय

1.20 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर संविदात्मक श्रमिकों की सेवाएं लेने के लिए भी आरक्षण नीति लागू की गई थी, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में बताया कि:-

"हम लोग बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर नहीं कर सकते हैं। उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं।"

1.21 समिति ने पूछा कि क्या केनरा बैंक ने ओबीसी के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी

नियुक्त किया गया है, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में बताया-

"हम लोगों ने अपने बैंक में दो लायजनिंग ऑफिसर बनाए थे और वह भी जेनरल मैनेजर कैडर में है। उसमें एक केवल एससी/एसटी के लिए है और दूसरा, केवल ओबीसी के लिए है।.... एक्स्क्लूसिव्ली का मतलब है कि एससी/एसटी के अलग है और ओबीसी के लिए अलग है।"

1.22 समिति ने ओबीसी कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र और पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों के ब्यौरे के बारे में भी पूछा । मंत्रालय ने एक लिखित नोट में बताया:-

"केनरा बैंक ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय में एक आरक्षण प्रकोष्ठ बनाया है और प्रधान कार्यालय में ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी और सभी सर्किल कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। अन्य पिछड़े वर्गों या तो सीधे या संगठनों के माध्यम प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा की जा रही है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, जरूरी जांच की जाती हैं और उचित कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2020 के दौरान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के माध्यम से कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामले स्थानांतरण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, नौकरी के नियमितीकरण और भेदभाव से संबंधित थे। बैंक ने आवश्यक जांच की है और माननीय आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

वर्ष 2021 के दौरान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के माध्यम से कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामले स्थानांतरण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, नौकरी के नियमितीकरण और भेदभाव से संबंधित थे। बैंक ने आवश्यक जांच की है और माननीय आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

1.23 यह पूछे जाने पर कि क्या ओबीसी कर्मचारियों के साथ उनकी समस्याओं/शिकायतों को

हल करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की गईं और यह भी कि क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तैयार और परिचालित किए गए हैं, मंत्रालय ने अपने टिप्पण में बताया:-

"ओबीसी कल्याण संघ द्वारा प्रस्तुत मुद्दों पर चर्चा करने और आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बैंक के मुख्य कार्यकारी के साथ आवधिक बैठकों (छमाही) के लिए बहुसंख्यक ओबीसी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है।"

1.24 जहां तक विदेशी प्रशिक्षण का संबंध है, समिति ने यह जानना चाहा कि कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण, असाइनमेंट/संगोष्ठियों आदि में भेजा गया था और उनमें से ओबीसी की संख्या कितनी थी, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:-

विदेशी प्रशिक्षण			
वित्तीय वर्ष	कर्मचारियों की कुल संख्या	जिनमे से ओबीसी की संख्या	ओबीसी का प्रतिशत
2019-20	409	87	21.27
2020-21*	0	0	0
2021-22*	0	0	0

*कोविड-19 महामारी के कारण कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामांकित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में बताया कि:-

"वर्ष 2018-19 में हम लोगों के पास रोड सेफ्टी बोल कर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें हम लोगों ने 42,957 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। जिनमें से ओबीसी के 56.67 पर्सेंट लोगों को ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद वर्ष 2019-20 में 40,018 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, जिनमें से 23,134 ओबीसी के लोग थे, जिसका पर्सेंट 57.81 बनता है। वर्ष 2020-21 में 31,031 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, कोविड टाइम में भी, जिनमें से 13,924 ओबीसी के हैं, जो कि 44.87 पर्सेंट है। वर्ष 2021-22 में 31,850 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, जिनमें से 14,730 लोग यानि 46.25 पर्सेंट ओबीसी के हैं। जहां तक स्किल डेवल्पमेंट,

अपस्किलिंग आदि में काफी ध्यान दे कर, पर्सेंटेज ही बताता है कि कैनरा बैंक उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है"

1.25 अप्रैल 2020 में, छोटे बैंकों की बाजार स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की नीति के रूप में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ विलय कर दिया गया था। इन बैंकों के विलयन के परिणामस्वरूप समिति ने विलयित बैंकों के ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को जानना चाहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान मंच भी हो। केनरा बैंक ने उत्तर में बताया कि:-

"बैंक ने सूचित किया कि, 01 अप्रैल, 2020 के बाद, सभी कर्मचारी समामेलित इकाई अर्थात् केनरा बैंक के कर्मचारी बन चुके हैं। ई-सिंडिकेट बैंक के सभी कर्मचारी केनरा बैंक में अपनी पुरानी श्रेणी/वेतनमान में काम कर रहे हैं। सभी कर्मचारी लाभ/सुविधाएं समामेलित बैंक के अनुकूलनीय दिशानिर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं। समामेलित इकाई के सभी कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.2020 से अनुकूलनीय मानव संसाधन नीतियां समान रूप से लागू हैं।

विलय होने पर दोनों बैंकों की योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा दोनों बैंकों की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को विधिवत रूप से शामिल करते हुए ओबीसी के आरक्षण से संबंधित मामलों और उन्हें दिए जाने वाले अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित एकीकृत नीतियां, योजनाएं और प्रक्रियाएं बनाने हेतु केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की संचालन समिति, कार्यात्मक समितियों का गठन किया गया। कर्मचारियों को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करने और ओबीसी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए एकीकृत नीतियों/प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, विचार-विमर्श करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए संचालन समितियों का गठन किया जाता है।"

1.26 सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में विलय के मद्देनजर समिति ने विलय के बाद आरक्षण रोस्टरों की समीक्षा/संशोधन के मुद्दे पर विस्तृत जानकारी मांगी क्योंकि जनशक्ति की अधिकता है। मंत्रालय ने लिखित उत्तर में सूचित किया:-

> बैंक ने सूचित किया है कि आरक्षण नीति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पद आधारित रोस्टर तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। बैंक का निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करता है। आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा आवधिक रूप से किया जाता है। बैंक द्वारा अधिकारी संवर्ग के लिए रोस्टर का रखरखाव प्रधान कार्यालय में किया जाता है और वर्कमैन (लिपिक, अधीनस्थ कर्मचारी और एचकेपी) के संबंध में, चूंकि आरक्षण राज्यवार लागू होता है इसलिए उनके रोस्टर का रखरखाव संबंधित अंचल कार्यालय में किया जाता है। दिनांक 01.04.2020 से ई-सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में समामेलन के बाद से केनरा बैंक और ई-सिंडिकेट बैंक के रोस्टर को अच्छे से मिला दिया गया है और बैंक ने 31.12.2020 तक के रोस्टर को अद्यतन कर दिया है और निरीक्षण के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के समक्ष संयुक्त आरक्षण रोस्टर प्रस्तुत किया गया है।

1.27 साक्ष्य के दौरान, समिति ने मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया कि सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ विलय के साथ, पोस्टिंग और स्थानांतरण नीति के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और शायद छोटे बैंकों के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सचिव, वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि:-

> "अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक ब्रांच में जो वाइफ एंड हस्बैंड काम कर रहे हैं या मैटरनिटी लीव में हैं, ऐसे लोग जॉइन करते हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ता है। हम लोगों को ब्रांच लॉस में न जाए, यह भी देखना पड़ता है। लास्ट टू ईयर्स में एमैल्गमेशन के बाद 53.26 परसेंट लोगों को हमने ट्रांसफर कर दिया। एमैल्गमेशन और कोविड के समय सॉफ्टवेयर के इश्युज थे, क्योंकि केनरा बैंक

एक सॉफ्टवेयर में था और सिंडिकेट बैंक दूसरे सॉफ्टवेयर में था। हम इन दोनों को एक सॉफ्टवेयर में लेकर आए, जो आज के जमाने में लेटेस्ट है और हम लोग हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमने एचआरएमएस करके एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जो पूरा ट्रांसपेरेंट है। कोई भी आदमी कभी भी चैक कर सकता है। मान लीजिए, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा और मेरे से ऊपर कितने हैं, वह सब भी देख सकते हैं।"

1.28 इसके अतिरिक्त, समिति ने प्रतिनिधियों से सिंडिकेट बैंक के ओबीसी कर्मचारी संघ द्वारा केनरा बैंक में विद्यमान कर्मचारियों/संगठन के साथ उनके विलय के संबंध में समक्ष आने वाली समस्याओं और मंत्रालय/बैंक द्वारा उनकी शिकायतों को हल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। मंत्रालय ने बताया:-

"यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सिंडिकेट बैंक के अन्य सभी एसोसिएशनों/यूनियनों ने बैंक के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और या तो वे केनरा बैंक के यूनियनों/एसोसिएशनों में विलय हो गए हैं या उन्होंने अपने उप-नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया है, हालांकि ओबीसी संघम ने आवश्यक कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ अनावश्यक शिकायतें की हैं।

आज तक संघम ने बैंक के किसी भी सद्भावनापूर्ण कार्य के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बैंक को संघम से विलय की औपचारिकताओं को पूरा करने/उप-नियमों में संशोधन करने के लिए कुछ और समय की मांग के संबंध में अनुरोध प्राप्त होता है तो बैंक उस पर विचार करेगा और संघम को चेक-ऑफ सुविधा देगा।"

1.29 समिति ने जानना चाहा कि छोटे बैंकों के बड़ी संस्थाओं के साथ उनके विलय के बाद ओबीसी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"दिनांक 04.01.2013 के डीओपीटी के का.ज्ञा.संख्या 43011/153/2010-स्थापना (संकल्प) दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएफएस के सीएलओ हर वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्षवार तैयार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाती है कि सभी संगठनों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार परिगणित किया गया है।

केनरा बैंक द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण 02.12.2021 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में संबंधित बैंक के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी इस विभाग के मुख्य संपर्क अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं।

पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी के कल्याण संघों के साथ डीएफएस प्रत्यक्ष तौर पर बैठक नहीं करता है। डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी के प्रबंधन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी कल्याण संघों के साथ तिमाही/अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। डीएफएस में निरीक्षण के दौरान, संगठनों से उनकी बैठकों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।"

1.30 समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या केनरा बैंक ओबीसी आबादी के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय ऋण प्रदान कर रहा था, केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में बताया कि:-

"पीएमईजीपी जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने वर्ष 2019-20 में 6,200 लोगों को लोन्स दिए थे। जिनमें से 2811 लोग ओबीसी हैं, जो कि 45 पर्सेंट है। उसके बाद वर्ष 2021-22 में 7,918 लोगों ट्रेनिंग दी थी, जिनमें से 3,699 ओबीसी के हैं, जो कि 46 पर्सेंट है। उसके बाद वर्ष 2021-22 में, जब कोविड थोड़ा कम हो गया, अभी हम लोग 10,069 लोगों को किए थे, जिसमें से ओबीसी 4,702 हैं, जो कि 46.70 पर्सेंट है। सर, ऐसे आप देखेंगे तो ऑल एजुकेशन लोन्स में भी, उदाहरण के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई रहेगी तो भविष्य

में they will be able to take good positions. वर्ष 2019-20 में 1,02,528 लाभार्थियो को डिस्बर्समेंट किया था, जिसमें से 22,567 ओबीसी थे। 2020-21 में 78,532 लाभार्थियो को डिस्बर्समेंट किया है, जिसमें 16000 ओबीसी लाभार्थी है। वर्ष 2021-22 में 75,000 लाभार्थियो को डिस्बर्समेंट किया है। तो हम लोग काफी ज़ोर इस पर दे रहे हैं। सर, इसमें कुछ फिगर्स कैप्चर्ड नहीं है, क्योंकि एप्लिकेशन में काफी लोग ओबीसी कॉलम पर टिक नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो वह जनरल में काउंट होता है। अगर वे टिक करेंगे तो यह पर्सेंट ज्यादा ही होगा। "

1.31 समिति ने पूछा कि क्या ओबीसी के कमजोर वर्गों को विभिन्न कार्यक्रमों 'विशेषकर स्टैंड अप इंडिया' कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं। बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

"यह जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने 'स्टैण्ड-अप इंडिया' में 4,071 सैंक्शन किया, जिसमें से ओबीसी 750 हैं, जो 18.2 प्रतिशत हैं। उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग कहां तक हेल्प कर सकते हैं। ये लेडीज़ वास्तव में गरीब लेडीज़ हैं। हमारे कैनरा बैंक का कल्चर यह है कि हम बिजनेस तो करेंगे, लेकिन सोसायटी को भी साथ में लेंगे।"

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समिति नोट करती है कि केनरा बैंक में बोर्ड के आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। केनरा बैंक के निदेशक मंडल में 16 निदेशक होते हैं जिनमें से 11 निदेशक नियुक्त किए गए हैं और अभी भी 5 पद खाली हैं। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि केनरा बैंक के निदेशक मंडल में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि, मंत्रालय को आशा है कि भविष्य में निदेशक मंडल के 5 शेष रिक्त पदों को भरते समय ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिए जाने हेतु ओबीसी संवर्ग से योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। समिति महसूस करती है कि केनरा बैंक के उच्च प्रबंधन में सामाजिक समावेशन हेतु ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाना अत्यावश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को समुचित कदम उठाना चाहिए ताकि केनरा बैंक के निदेशक मंडल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

केनरा बैंक में भर्ती में आरक्षण

2. समिति इस बात की सराहना करती है कि केनरा बैंक सभी संवर्गों के पदों की भर्ती में ओबीसी के लिए 27% का अनिवार्य आरक्षण प्रदान कर रहा है और 08.09.1993 से ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का शब्दशः और अक्षरशः कार्यान्वयन कर रहा है। समिति ने पाया कि समूह "क" में कुल 51,300 अधिकारियों में से 15,519 अधिकारी ओबीसी वर्ग से हैं जो कि कुल संख्या का 30.25% है। इसी प्रकार, कुल 24,045 लिपिकीय कर्मचारियों में से 7,278 कर्मचारी ओबीसी वर्ग से हैं जो कि कुल संख्या का 30.27% है। उप-कार्मिकों और सफाई कर्मचारियों (समूह 'घ') की कुल संख्या 12,446 है और इनमें से 3,506 ओबीसी वर्ग से हैं जो कि उप-कार्मिकों और सफाई कर्मचारियों

(समूह 'घ') की कुल संख्या का 28.17% है। केनरा बैंक की कुल श्रमशक्ति में ओबीसी कर्मचारियों का समग्र प्रतिशत 29.97% है जो कि रोजगार में ओबीसी के 27% आरक्षण से अधिक है। समिति इस बात की सराहना करती है कि केनरा बैंक में ओबीसी की रिक्तियों में कोई कमी और बैकलॉग नहीं है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि केनरा बैंक डीओपीटी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार ओबीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में भर्तियों में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करता है तथा समूह चर्चा और साक्षात्कार में अर्ह अंको में 5% की छूट देता है। मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को देखते हुए, समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि केनरा बैंक में सभी सेवा समूहों में ओबीसी कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से अधिक है। समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) केनरा बैंक में ओबीसी आरक्षण के वर्तमान स्तर को बनाए रखने का हर संभव उपाए करे तथा यह सुनिश्चित करे कि केनरा बैंक में किसी भी समय ओबीसी का प्रतिनिधित्व अधिदेशित 27% आरक्षण से कम न हो।

<u>ओबीसी के कल्याण हेतु उपाए और वित्तीय सहायता</u>

3. समिति को बताया गया है कि सम्पूर्ण समाज के समावेशी विकास के लिए समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु सरकारी पहलों के रूप में, केनरा बैंक महिलाओं सहित समाज के जरुरतमंदों और अन्य कमजोर वर्गों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, समिति ने पाया कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत, वर्ष 2019-20 में केनरा बैंक ने 6200 व्यक्तियों को ऋण दिया, जिसमें से 2811 व्यक्ति ओबीसी वर्ग से सम्बंधित थे जो कि कुल लाभार्थियों का 45% है। वर्ष 2021-22 में इसी योजना के अंतर्गत कुल 10069 आवेदकों में से 4702 ओबीसी वर्ग के आवेदकों को ऋण दिया गया, जो कि कुल लाभार्थियों का 46.70% है। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 में शिक्षा ऋण के लाभर्तियो की संख्या 1,02,528 थी जिसमें से 22,567 लाभर्ती ओबीसी वर्ग के थे । वर्ष 2020-21 में कुल 78,532 लाभार्थियों में से ऋण 16000 अर्ह ओबीसी आवेदकों को दिया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में केनरा बैंक ने ऋण 75000 लाभार्थियों को दिया जिसमें

ओबीसी वर्ग के व्यक्ति भी शामिल है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 में केनरा बैंक ने 4071 अई व्यक्तियों को ऋण दिया जिसमें से 750 व्यक्ति ओबीसी वर्ग से थे। यह कुल लाभार्थियों का 18.2% है। समिति इस बात की सराहना करती है कि केनरा बैंक विशेष योजनाओं नामत: आरबीआई रिजोल्यूशन फ्रेम वर्क-I और रिजॉल्यूशन फ्रेम वर्क- के तहत विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों के मौजूदा ऋणों के पुनर्नियोजन द्वारा सामान्य रूप से समाज के जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगातार अग्रणी रहा है और इसके परिणामस्वरूप ओबीसी सहित लगभग 5,57,000 लोगों को लाभ पहुंचाया गया। समिति ने यह भी पाया है कि केनरा बैंक ने महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि केनरा बैंक ने 2020-21 से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने, कौशल विकास और कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण देने के लिए कई पहलें की हैं। समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) केनरा बैंक को योग्य आवेदकों को उचित और पारदर्शी तरीके से रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने और मानदंडों में छूट देने के लिए त्वरित और बाधा मुक्त सेवा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सभी कदम उठाए।

<u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

4. समिति सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में विलय के पश्चात कर्मचारियों से प्राप्त स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। केनरा बैंक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सिंडिकेट बैंक के उसके साथ समामेलन और फिर मौजूदा कोविड 19 महामारी के कारण स्थानांतरण और तैनाती के मुद्दों में वृद्धि

हुई है। तथापि, स्थानांतरण और तैनाती से सम्बंधित **53.2%** अनुरोधों का पहले ही सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है और शेष अनुरोधों को कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर देखा जा रहा है। स्थानांतरण और तैनाती के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए केनरा बैंक सभी मुद्दों से निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित तरीके से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। समिति यह भी चाहेगी कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ विलय के बाद उसके अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए केनरा बैंक का प्रबंधन कदम उठाएं। सभी कर्मचारियों, विशेषरूप से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की तैनाती/स्थानांतरण और अन्य शिकायतों के प्रति बैंक के संवेदनशील दृष्टिकोण की सराहना करते हुए, समिति वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) से इस बात पर बल देती है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती सहित चिंताओं/शिकायतों को दूर करने के लिए वे सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करे और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामना किए जा रहे सभी लंबित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने हेतु एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जारी रखे। समिति को इस संबंध में उठाये गए कदमों से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
15 **दिसम्बर**,2022
24 **अग्रहायण**,1944(**शक**)

राजेश वर्मा,
सभापति
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की 15 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

उपस्थित

श्री राजेश वर्मा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बंदी संजय कुमार
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री रमेश बिधूड़ी
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. संघमित्रा मौर्य
8. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
9. श्री बालक नाथ
10. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
11. श्री चुन्नीलाल साहू

राज्य सभा

12. श्रीमती गीता उर्फ़ चन्द्रप्रभा
13. श्री नारायण कोरागप्पा
14. श्री जयप्रकाश निषाद
15. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
16. श्रीमती छाया वर्मा
17. श्री सकलदीप राजभर
18. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख – संयुक्त सचिव
2. श्री महेश्वर – निदेशक
3. श्रीमती नीना जुनेजा - अपर निदेशक

प्रतिनिधियों की सूची

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री अमित अग्रवाल	अपर सचिव, डीएफएस
2.	श्री ललित कुमार चंदेल	आर्थिक सलाहकार, डीएफएस

केनरा बैंक

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री एल वी प्रभाकर	एमडी और सीईओ
2.	श्री शंकर एस	मुख्य महाप्रबंधक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने "केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़ें वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) और केनरा बैंक के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेनें हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, वित्तीय सेवाएं विभाग और केनरा बैंक के प्रतिनिधियों को बुलाया गया तथा सभापति ने साक्षियों का स्वागत किया। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि विभाग समिति को केनरा बैंक में अन्य पिछड़ें वर्गों के आरक्षण और उनके कल्याण की स्थिति से अवगत कराए।

3. सदस्यों ने केनरा बैंक में ओबीसी आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे। बैठक के दौरान समिति के सभापति और सदस्यों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए प्रमुख मुद्दे/बिंदु निम्नानुसार थे-

(एक) केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़ें वर्गों का प्रतिनिधित्व और केनरा बैंक के निदेशक मंडल में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम;

(दो) अन्य पिछड़ें वर्गों की रिक्तियों को भरने के लिए केनरा बैंक द्वारा उठाए गए कदम और अन्य पिछड़ें वर्गों के अंतर्गत सभी रिक्तियों को भरने के लिए किए गए उपाय;

(तीन) केनरा बैंक में अन्य पिछड़ें वर्गों के कर्मचारियों के लिए शिकायत संबंधी तंत्र और शिकायतों की स्थिति से जुड़े मुद्दे;

(चार) अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ को कमरे, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक अवसंरचना के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं;

(पांच) अन्य पिछड़ें वर्गों की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर का रखरखाव; और

(छह) केनरा बैंक में समामेलन के बाद सिंडिकेट बैंक में अन्य पिछड़ें वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम।

4. समिति ने वित्तीय सेवाएं विभाग और केनरा बैंक के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिनके उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिए गए थे या जिन पर अपेक्षित सूचना उस समय उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गए।

5. समिति ने 21 से 27 अप्रैल, 2022 तक श्रीनगर, चंडीगढ़ और शिमला का अध्ययन दौरा करने का प्रस्ताव किया और सभापति को ब्यौरे को अंतिम रूप देने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

****

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की 15 दिसंबर, 2022 को समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति (2022-23) की बैठक 1530 बजे से 1540 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेश वर्मा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री रमेश बिधूड़ी
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. श्री पी. सी. मोहन
8. डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
9. श्री रोडमल नागर
10. श्री बालक नाथ
11. श्री चुन्नीलाल साहू
12. श्री चंद्र शेखर साहू

राज्य सभा

13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
15. श्री नारायण कोरागप्पा
16. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
17. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
18. श्री सकलदीप राजभर
19. श्री राम नाथ ठाकुर
20. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्री पुलिन बी. भूटिया	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री महेश्वर	-	निदेशक
3.	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद, समिति ने निम्नलिखित प्रारुप प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के लिए उनपर विचार किया :

(i) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(iii) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(iv) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'एमटीएनएल और बीएसएनएल में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

3. समिति ने संक्षिपूत चर्चा के उपरांत उक्त प्रारुप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया और सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***